5/08

।। श्री गणेशाय नमः ।।

(1474)

(1902)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु. 10

TEN RUPEES
Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 472041

900

यह विक्रय पत्र केन्द्र सरकार की घोषित आवासीय नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आवासीय नीति के द्वारा प्रदेश की बढती हुई जनसंख्या के आवासीय समस्याओं एवं अवस्थापना सुविधाओं के जनहित में उत्तर प्रदेश सरकार की हाईटैक नीति के अन्तर्गत जमीन का क्रय जनहित के लिये निजी निवेश कर्ता द्वारा किया जा रहा है, है।

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम...मौजा चौंत तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 1.751 हैक्टेयर का 1/3 भाग
4. सम्पत्ति का प्रकार :–कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
6. बोरिंग / कुआ / अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 1730688 / –रुपये
8. स्टाम्प देय : मुक्त
9. सरकारी दर भूमि 1400000 / ––रुपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 क्रमांक पर दर्ज है।

क्रम सं. 22 दि. 1-2-08 10
[illegible]

स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 2/97-98

उप जि. का०, [illegible]

24 JAN 08

Sig. CASHIE[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 472042

(2)

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम
विक्रेता की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण
जवाहरसिंह पुत्र श्री पूरनसिह निवासी ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)
क्रेता का विवरण
सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

मै कि जवाहरसिंह पुत्र श्री पूरनसिह निवासी ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा का हूं।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या–536 व गाटा संख्या–439 मि0 रकवा 0.016 हैक्टेयर व गाटा नंबर–440 / 2 रकवा 1.727 हैक्टेयर व गाटा नंबर–506 / 1 रकवा 0.008 हैक्टेयर कुल तीन किता रकवा 1.751 हैक्टेयर लगानी 37.49 रूपया सालाना बाके मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा का एक तिहाई भाग मिल्कियत विक्रेता है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काबिजाना व

जवाहरसिंह

क्रम सं० 78 / दि० 1-2-08 108

नाम

दि०

/ 7750/-

स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 2/97-98

उप नि० का०, मथुरा

TREASURY-MATHURA

24 JAN 08

Sig. CASHIER

विक्रय पत्र

/ 2,016,000.00		5,000.00	20	5,020.00	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती जवाहर सिंह

पुत्र / पत्नी श्री पूरन सिंह

पेशा कृषि

निवासी स्थायी जैंत मथुरा

अस्थायी पता जैंत मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 2/2/2008 समय

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा-प्रथम

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त 2/2/2008

विक्रेता

श्री/श्रीमती जवाहर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री पूरन सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैंत मथुरा

क्रेता

श्री/श्रीमती सनसिटी हाईटेक प्रा0प्रा0लि0 द्वारा अधि0 कपिल देव उपाध्याय
पुत्र/पत्नी श्री छैल बिहारी उपाध्याय
पेशा व्यापार
निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री राधाकिशन
पुत्र श्री श्यामोला
पेशा कृषि
निवासी जैंत मथुरा

व श्री रामप्रसाद
पुत्र श्री उदयराम
पेशा कृषि
निवासी गोपालगढ़ मथुरा

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा-प्रथम
2/2/2008

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 472043

(3)

हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जो जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतया: मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा वै किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेतो के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रूपयो की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि अपने सम्पूर्ण अंश भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विक्रेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वएवज 1730688/—सत्रह लाख तीस हजार छैः सौ अठासी रूपये जिसके आधे 865344/—आठ लाख पैंसठ हजार तीन सौ चवालीस रूपये होते हैं। बहक सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन—49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

जवाहरसिंह

79 1-2-08 107

7765

स्टाम्प विक्रेता, ला.नं. 2/97-98

उप नि० का०, मथुरा

24 JAN

विक्रेता

Registration No 5 Year : 2008 Book No. 68

0101 जवाहर सिह

पूरन सिंह

जैंत मथुरा

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 472044

को बै कतई कर दी व बेच दी और मूल्य का कुल रूपया खरीदार से ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स छटीकरा मथुरा शाखा के चैक संख्या–391217 दिनांक–1.2.2008 तादादी 1670688/–रूपये व इसी बैंक के चैक संख्या–391207 दिनांक–27.12.2007 तादादी 50000/–रूपये व 10000/–रूपये नकद प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बावत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता बसूल करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो नोटिफिकेशन संख्या के एन एस 5–4513 (1)/11–207–500(22)–2003 दिनांक–17.11.2007 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक हित में 750 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि के निवेश बाले प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की केबिनेट बैठक में चयनित कम्पनी के हक में विक्रय पत्र किया जा रहा है। जो उक्त नोटिफिकेशन से स्टाम्प मुक्त है। आवासीय एवं चैरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा नामित अधिकारी उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

जवाद रसी

[signature]

1-2-08

121

स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 2/97-98

उप नि० का०, मथुरा

24 JAN 08

क्रेता

Minute Book No. : 5 Year : 2008 Book No. 1

0201 सनसिटी हाईटेक प्रो0प्रा0लि0 द्वारा अधि0 कपिल देव उपाध्याय

छैल बिहारी उपाध्याय

गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 472045

लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खुबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं। विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है।

दिनांक–1.2.2008
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा
ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

24 JAN 08

आज दिनांक **14/07/2015** को

वही सं **1** जिल्द सं **11779**

पृष्ठ सं **257** से **268** पर क्रमांक **11474**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी-के-यादव

उप-निबन्धक

मथुरा-प्रथम

14/7/2015

[illegible]
[illegible] , 43 [illegible]. 441/2. 506/, [illegible]
[illegible]
[illegible] 1.75 [illegible] 1/3 [illegible]

[illegible]

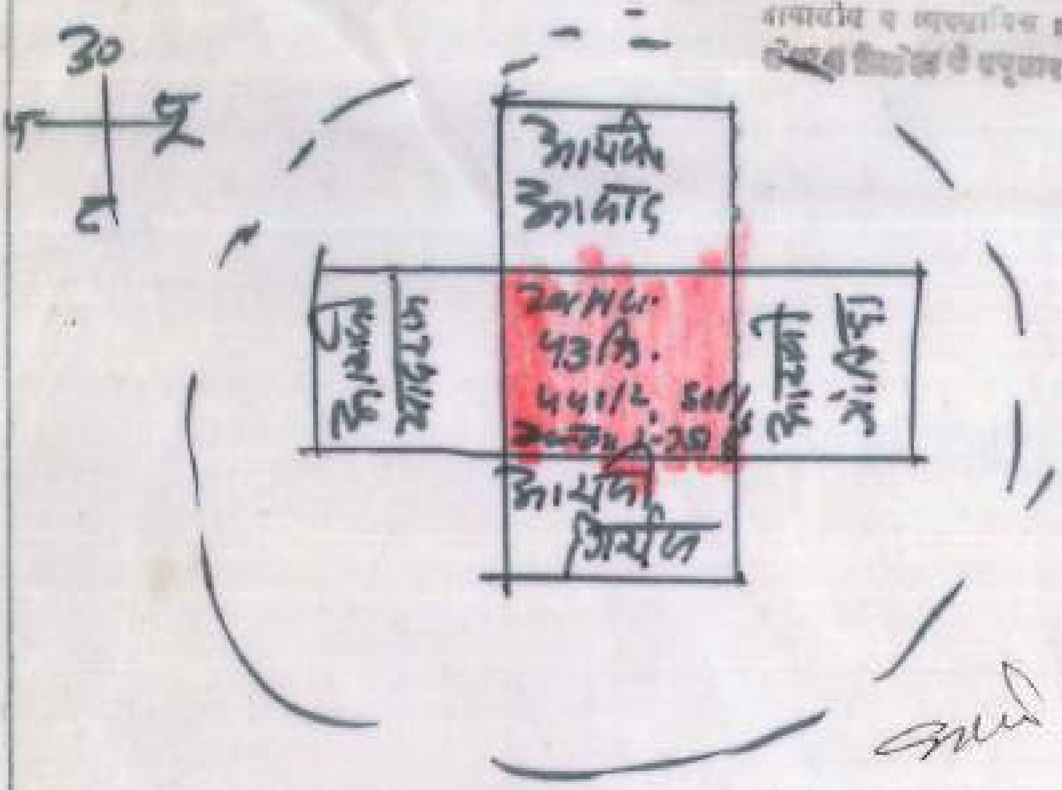

[illegible]

Civil Engineer